**जांच सूची क्रमांक 22 – डम्ब बार्ज का पूर्ण नुकसान (Total Loss) – पंजीकरण समाप्ति**

**(पृष्ठ 3 का 3)**

| **क्र.सं.** | **आवश्यक दस्तावेज** | **हां/नहीं** |
| --- | --- | --- |
| 1 | जैसे ही दुर्घटना घटित हो, स्वामी को कंपनी सचिव के पद से कम नहीं के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार और महानिदेशक नौवहन (DG Shipping) को सूचित करना होगा। |  |
| 2 | डीजीएस / एमएमडी / पी एंड आई क्लब द्वारा जारी जहाज के पूर्ण नुकसान की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट |  |
| 3 | स्वामी को शपथ पत्र (स्टांप पेपर पर) प्रस्तुत करना होगा जिसमें सभी बकाया देनदारियों, मजदूरी आदि का विवरण दिया गया हो और रजिस्ट्रार को किसी भी दायित्व से मुक्त किया गया हो। |  |
| 4 | सभी वैधानिक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ संबंधित जारीकर्ता को समर्पित की जानी चाहिए: |  |

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र
2. लोड लाइन प्रमाणपत्र
3. सीवेज प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र
4. तेल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र
5. एसपीएस कोड अनुपालन प्रमाणपत्र
6. अन्य यदि लागू हो | |
| 5 |
a) पोत का नाम, कॉल साइन, आधिकारिक संख्या और डिजिटल सेलेक्टिव कॉल (MMSI) संख्या अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में विक्रेता द्वारा समर्पित की जाए।
b) यह प्रमाण / प्रतिज्ञा प्रस्तुत की जाए कि निम्नलिखित यंत्र निष्क्रिय कर दिए गए हैं (यदि लागू हो):
(a) मोबाइल स्टेशन लाइसेंस
(b) इनमारसैट
(c) शिप सिक्योरिटी अलार्म
(d) ईपीआईआरबी (EPIRB) | |
| 6 | जहाज पर कोई बकाया गिरवी / ऋण नहीं होना चाहिए। | |
| 7 | यदि जहाज के साथ प्रमाणपत्र भी नष्ट हो गए हों, तो ऐसे प्रमाणपत्रों के नुकसान की रिपोर्ट पुलिस विभाग को दी जाए और दो समाचार पत्रों – एक स्थानीय भाषा में और एक अंग्रेजी में – विज्ञापन प्रकाशित किया जाए (देखें: जांच सूची क्रमांक 9)। | |
| 8 | भारत कोष भुगतान की रसीद प्रस्तुत करें। | |

**केवल कार्यालय उपयोग हेतु नोट्स:**

i) यदि उपरोक्त सभी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, तो विलोपन प्रमाणपत्र (Deletion Certificate) जारी किया जाए।
ii) रजिस्टर में पंजीकरण समाप्ति का कारण लाल स्याही में दर्ज किया जाए (जैसे: स्क्रैपिंग / आगे संचालन / पूर्ण नुकसान)।
iii) ई-गवर्नेंस सिस्टम में रिकॉर्ड अपडेट किया जाए।
iv) डीजीएस को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाए कि MMSI नंबर विक्रेता द्वारा समर्पित कर दिया गया है।
v) इसरो (ISRO) को भी पत्र द्वारा MMSI नंबर के समर्पण की सूचना दी जाए।

**नोट**: जांच सूची के अनुसार संलग्न किसी भी दस्तावेज़ की फोटोकॉपी केवल कंपनी के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और मोहरयुक्त होनी चाहिए। बिना उपरोक्त सत्यापन के कोई भी दस्तावेज़ इस कार्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।